जरिये ई-मेल

## ।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

क्रमांकः–कारा / भवन / 1 / 2015–16 / नवीन महिला जेल / 27503-603 दिनांक 1/8/18

अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागृह,
उदयपुर ।

विषयः–नवीन महिला बंदी सुधारगृह उदयपुर को प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।
प्रसंगः–राज्य सरकार के पत्र क्रमाक प.9(2)गृह–12 / कारा / 2018 दिनांक 16.07.18 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के द्वारा नव निर्मित महिला बंदी सुधारगृह उदयपुर स्थाई जेल घोषित की जा चुकी है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर डी.बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 13627 / 2013 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2016 की अनुपालना मे दिये गये दिशा निर्देशानुसार तत्काल नवीन महिला बंदी सुधारगृह उदयपुर को नियमानुसार प्रारम्भ कर अनुपालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रूपिन्दर सिंघ)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज, उदयपुर।
2. समस्त मण्डलाधिकारी / अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभारी केन्द्रीय,जिला, उप कारागह, राजस्थान ।
3. उप विधि परामर्श मुख्यालय कारागार जयपुर को डी.बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 13627 / 2013 के संदर्भ में।
4. अधीक्षक (संस्थापन शाखा) मुख्यलालय कारागार जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि तत्काल स्वीकृत स्टाफ अनुसार नवीन महिला बंदी सुधारगृह, उदयपुर पर स्टाफ के पदस्थापन आदेश जारी करवाया जावे। संलग्न आदेश प्रति ।
5. समस्त शाखा प्रभारी मुख्यालय कारागार, जयपुर ।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को वास्ते वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु संलग्न आदेश प्रति ।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर
01/08/18

3

**राजस्थान सरकार**
**गृह (ग्रुप–12) विभाग**

क्रमांक : प.9(2)गृह–12 / कारा / 2018 जयपुर,दिनांक 16 JUL 2018

650
18/7/18

**आदेश**

यत् यह राज्य सरकार कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम –9, सन् 1894) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में केन्द्रीय कारागृह उदयपुर के परिसर में नव निर्मित महिला बंदी सुधारगृह जो तहसील गिर्वा के खसरा नं. 1774 (केन्द्रीय कारागृह उदयपुर के कैम्पस में) की सम्पूर्ण कैम्पस का क्षेत्रफल निर्मित भवन सहित लगभग 32,586 वर्ग फिट भूमि पर निर्मित है। इस भवन के पश्चिम दिशा में रेल्वे लाईन एवं जेल की खाली भूमि है, उत्तर में आर.सी ए की कृषि भूमि है, पूर्व में जेल कर्मचारियों के आवासगृह एवं केन्द्रीय कारागृह उदयपुर का मुख्य भवन है तथा दक्षिण में जेल का बाग एवं आर ए सी की नवीन बैरिकें बनी हुई है। नवीन महिला बंदी सुधारगृह के निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल लगभग 14,328 वर्ग फीट है एवं सम्पूर्ण कैम्पस का क्षेत्रफल निर्मित भवन सहित लगभग 32,586 वर्ग फीट है। इस क्षेत्र को एतद् द्वारा स्थाई जेल घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कैलाश चन्द)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
3. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, उदयपुर।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय साफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
6. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर।
7. रक्षित पत्रावली ।

16 JUL 2018
Directorate General
Prisons, Rajasthan, Jaipur

| | |
|---|---|
| DGP | |
| ADGP | |
| IGP | |
| DY.JSP | |
| Supervisory Officer | |
| Branch | सामान्य शाखा |

(शंकर सिंह मनोहर)
सहायक शासन सचिव,